05/02/25

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उप.। वाद वादी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल किया गया। डिक्री जारी हो। नक्शा से कट हो।

निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2024/136

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.07 16:36:32 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक जिलाधीश, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– श्री संदीप कुमार आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 61/2024 GCMS:- 2024/136 दायरा दिनांक : 26.02.2024

1. ओमप्रकाश पुत्र अमरचन्द जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी डबलीबास मोल्लवी तहसील व जिला हनुमानगढ़ हाल आबाद जानकीदासवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. मोतीराम पुत्र अमरचन्द जाति कुम्हार निवासी जानकीदासवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर। – वादीगण

बनाम

1. हरीचन्द पुत्र अमरचन्द अकवाम कुम्हार (प्रजापति) निवासी जानकीदासवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. विजयपाल पुत्र अमरचन्द (फौत) जरिये वारिसान :–

   2/1 लिछमादेवी पत्नी विजयाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी डबलीबास मोल्लवी तहसील व जिला हनुमानगढ़ हाल आबाद जानकीदासवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

   2/2 जयललिता } उम्र 16वर्ष पुत्र/पुत्री विजयपाल अकवाम कुम्हार (प्रजापति)
   2/3 सुशील } उम्र 14 वर्ष नाबालिक जरिये कुदरतीबली माता लिछमादेवी पत्नी विजयपाल निवासीयान डबलीबास मोल्लवी तहसील व जिला हनुमानगढ़ हाल आबाद जानकीदासवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ बहैसियत प्रतिनिधि भू.धारक – प्रतिवादीगण

उपस्थिती : एडवोकेट सुरेन्द्र सुथार – वादीगण
एडवोकेट राजवीर भादू – प्रतिवादी नं. 01 व 02

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 व 209 आर.टी.ए

निर्णय दिनांक : 05.02.2025

पत्रावली पेश हुई। वादीगण के अभिभाषक उपस्थित पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में विचारण तथ्य यह है कि वादी नं. 01 व 02 एंव प्रतिवादी नं. 01 व 2/1 ता 2/3 के पिता/पति के नाम से संयुक्त खाता में वाके चक 10 एस.डी. के खाता नं. 3/3 के पत्थर न. 111/402 (49) के किला नं. 4 में 0.253 है0, 7–8 में 0.506 है0, 12 ता 14 में 0.759 है0, 17 ता 20 में 1.012 है0 व किला नं. 21/2 में 0.228 है0, 22/2 में 0.228 है0, 23/2 में 0.228 है0 व किला नं. 24/2 में 0. 228 है0 = 3.442 है0 कमाण्ड भूमि में से वादीगण का 2/4 हिस्सा व प्रतिवादी नं. 01 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी नं. 2/1 ता 2/3 का 1/4 हिस्सा भूमि व इसी चक 10 एस.डी. 'ए' के खाता नं. 3/5 के पत्थर नं. 112/402 (25) के किला नं. 16 में 0.253 है0, 25/2 में 0.228 है0, = 0.481 है0 कमाण्ड व पत्थर नं. 112/403 (26) के किला नं. 5–6 में 0.506 है0, 15 ता 25 में 2.787 है0 = 3.289 है0 कमाण्ड भूमि व पत्थर नं. 112/404 (31) के किला नं. 1 ता 5 में 1.265 है0 कमाण्ड भूमि इस प्रकार कुल 5.035 है0 कमाण्ड भूमि में से वादीगण का 2/4 हिस्सा व प्रतिवादी नं. 01 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी नं. 2/1 ता 2/3 का 1/4 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि में वादीगण एंव प्रतिवादीगण के मध्य [illegible] हुआ है घरूबंटवारा अनुसार में वादी नं. 01 व 02 को निम्न भूमि दी गयी है :– वा[illegible]क [illegible]स.डी. के खाता नं. 3/3 के पत्थर न. 111/402 (49) के किला नं. 4 में 0.253 है0, 7–8 [illegible] 14 में 0.759 है0, 17 ता 20 में 1.012 है0 व किला नं. 21/2 में 0.228 है0, 22/2 में 0.228 है0, 23/2 में 0.228 है0 व किला नं. 24/2 में 0.228 है0 = 3.442 है0 कमाण्ड भूमि [illegible] चक 10 एस.डी. 'ए' के खाता नं. 3/5 के पत्थर नं. 112/402 (25) के किला नं. 16 में 0.253 है0, 25/2 में 0.228 है0, = 0.481 है0

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.07 16:36:32 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः पेज 02 पर ....

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

कमाण्ड भूमि इस प्रकार दोनो चकों की कुल 3.923 है0 कमाण्ड भूमि दी गयी है व इसी क्रम में प्रतिवादी नं. 01 व प्रतिवादी नं. 02/01 ता 02/3 को घरूबंटवारा मुताबिक निम्न भूमि दी गयी है :– चक 10 एस.डी. 'ए' के खाता नं. 3/5 के पत्थर नं. 112/403 (26) के किला नं. 5–6 में 0.506 है0, 15 ता 25 में 2.787 है0 = 3.289 है0 कमाण्ड भूमि व पत्थर नं. 112/404 (31) के किला नं. 1 ता 5 में 1.265 है0 कमाण्ड भूमि इस प्रकार कुल 4.554 है0 कमाण्ड भूमि है जिस पर वादीगण एंव प्रतिवादीगण का घरूबंटवारा मुताबिक पुराना बदस्तुतर कब्जा काश्त है। वादीगण घरूबंटवारा में प्राप्त उक्त रकबा पर काबिज काश्त है तथा इसी अनुसार वादीगण एंव प्रतिवादीगण से खाता विभाजन करवाना चाहतें है ताकि खाता विभाजन से वादीगण की स्पष्ट भूमि पर हक हो सके व भविष्य में कठिनाई से बच सके। वादीगण के नाम अंकित भूमि चक 10 एस.डी. 'ए' के खाता नं. 3/5 की कुल 5.035 है0 भूमि में से 2/4 हिस्सा यानि 2.517 है0 भूमि में से 2.036 है0 वादीगण का हिस्सा कलमजन किया जाकर अब प्रतिवादीगण नं. 01 व 2/1 ता 2/3 के नाम बहिस्सा बराबर जोड़ा जावे व प्रतिवादी नं. 01 व 2/2 ता 2/3 के पिता/पति विजयपाल पुत्र अमरचन्द के नाम अंकित भूमि चक 10 एस.डी. के खाता नं. 3/3 के पत्थर नं. 111/402 की 3.442 है0 भूमि में से 2/4 हिस्सा यानि 1.721 है0 रकबा कलमजन किया जाकर हम वादीगण नं. 01 व 02 के नाम से बहिस्सा बराबर जोड़ा जाकर खातेदार कृषक घोषित किया जावे क्यों कि प्रतिवादी नं. 02/01 ता 02/03 के पिता/पति विजयपाल पुत्र अमरचन्द फौत हो चुकें है जिनके हम प्रतिवादी नं. 02/1 ता 02/03 जायज वारिसान है। इसलिये जायज वारिसान की हैसियत से खातेदार कृषक की श्रेणी में है इसलिये भी उक्त भूमि में अंकित घरू बंटवारा मुताबिक हिस्सा कस्सी कम ज्यादा करते हुए खातेदार कृषक वादीगण एंव प्रतिवादीगण घोषित करवाने का वादपत्र प्रस्तुत किया प्रकरण दर्ज रजिस्टर होने के पश्चात प्रतिवादी नं. 01 व 02 ने इकबाल जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। तत्पश्चात वादीगण द्वारा अपने ब्यानात हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया प्रतिवादीगण द्वारा जिरह नही करने पर पत्रावली वास्ते बहस प्रस्तुत हुई।

अतः पत्रावली वास्ते बहस प्रस्तुत होने पर वकील वादीगण ने मुताबिक घरू बंटवारा में प्राप्त रकबा अनुसार खाता विभाजन करने का निवेदन किया गया।

पत्रावली उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड मे वादीगण एंव प्रतिवादीगण के मध्य अच्छी में से अच्छी घरू बंटवारा हुआ है घरूबंटवारा अनुसार में वादी नं. 01 व 02 को वांके चक 10 एस.डी. के खाता नं. 3/3 के पत्थर न. 111/402 (49) के किला नं. 4 में 0.253 है0, 7–8 में 0.506 है0, 12 ता 14 में 0.759 है0, 17 ता 20 में 1.012 है0 व किला नं. 21/2 में 0.228 है0, 22/2 में 0.228 है0, 23/2 में 0.228 है0 व किला नं. 24/2 में 0.228 है0 = 3.442 है0 कमाण्ड भूमि व चक 10 एस.डी. 'ए' के खाता नं. 3/5 के पत्थर नं. 112/402 (25) के किला नं. 16 में 0.253 है0, 25/2 में 0.228 है0, = 0.481 है0 कमाण्ड भूमि इस प्रकार दोनो चकों की कुल 3.923 है0 कमाण्ड भूमि का बहिस्सा बराबर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है व प्रतिवादी नं. 01 व प्रतिवादी नं. 02/01 ता 02/3 को चक 10 एस. डी. 'ए' के खाता नं. 3/5 के पत्थर नं. 112/403 (26) के किला नं. 5–6 में 0.506 है0, 15 ता 25 में 2.787 है0 = 3.289 है0 कमाण्ड भूमि व पत्थर नं. 112/404 (31) के किला नं. 1 ता 5 में 1.265 है0 कमाण्ड भूमि इस प्रकार कुल 4.554 है0 कमाण्ड भूमि प्रतिवादी नं. 01 को 1/2 हिस्सा का व प्रतिवादी नं. 2/1 ता 2/3 को 1/2 हिस्सा खातेदार कृषक घोषित किया जाकर इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद के प्रतिवादी नं. 03 को आदेश दिया जाता है

आदेश सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.07 16:36:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

(ओ.21 रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

–:: परचा डिक्री ::–

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

1. ओमप्रकाश पुत्र अमरचन्द जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी डबलीबास मोल्लवी तहसील व जिला हनुमानगढ़ हाल आबाद जानकीदासवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. मोतीराम पुत्र अमरचन्द जाति कुम्हार निवासी जानकीदासवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

– वादीगण

बनाम

1. हरीचन्द पुत्र अमरचन्द अकवाम कुम्हार (प्रजापति) निवासी जानकीदासवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. विजयपाल पुत्र अमरचन्द (फौत) जरिये वारिसान :–
   2/1 लिछमादेवी पत्नी विजयाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी डबलीबास मोल्लवी तहसील व जिला हनुमानगढ़ हाल आबाद जानकीदासवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
   2/2 जयललिता } उम्र 16वर्ष पुत्र/पुत्री विजयपाल अकवाम कुम्हार (प्रजापति)
   2/3 सुशील } उम्र 14 वर्ष नाबालिक जरिये कुदरतीबली माता लिछमादेवी पत्नी विजयपाल निवासीयान डबलीबास मोल्लवी तहसील व जिला हनुमानगढ़ हाल आबाद जानकीदासवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ बहैसियत प्रतिनिधि भूधारक

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र 53, 88, 209 आर.टी.ए. 1955 के मुकदमा नं. 61 वर्ष 2024 यह मुकदमा वास्ते इनफिलास कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी **श्री सुरेन्द्र कुमार सुथार** व प्रतिवादी नं. 01 व 02 की तरफ से वकील **राजवीर भादू** के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :–

दावा वादी स्वीकार किया जाता है तथा वादाधीन भूमि वादी नं. 01 व 02 को वाके चक 10 एस.डी. के खाता नं. 3/3 के पत्थर न. 111/402 (49) के किला नं. 4 में 0.253 है0, 7–8 में 0.506 है0, 12 ता 14 में 0.759 है0, 17 ता 20 में 1.012 है0 व किला नं. 21/2 में 0.228 है0, 22/2 में 0.228 है0, 23/2 में 0.228 है0 व किला नं. 24/2 में 0.228 है0 = 3.442 है0 कमाण्ड भूमि व चक 10 एस.डी. 'ए' के खाता नं. 3/5 के पत्थर नं. 112/402 (25) के किला नं. 16 में 0.253 है0, 25/2 में 0.228 है0, = 0.481 है0 कमाण्ड भूमि इस प्रकार दोनो चकों की कुल 3.923 है0 कमाण्ड़ भूमि का बहिस्सा बराबर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है व प्रतिवादी नं. 01 व प्रतिवादी नं. 02/01 ता 02/3 को चक 10 एस.डी. 'ए' के खाता नं. 3/5 के पत्थर नं. 112/403 (26) के किला नं. 5–6 में 0.506 है0, 15 ता 25 में 2.787 है0 = 3.289 है0 कमाण्ड भूमि व पत्थर नं. 112/404 (31) के किला नं. 1 ता 5 में 1.265 है0 कमाण्ड भूमि इस प्रकार कुल 4.554 है0 कमाण्ड भूमि में से प्रतिवादी नं. 01 को 1/2 हिस्सा का व प्रतिवादी नं. 2/1 ता 2/3 को 1/2 हिस्सा का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है इसी अनुसार दोनो खातों में वादी एंव प्रतिवादीगण का नाम कलमजन किया जाकर उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद के प्रतिवादी नं. 03 को आदेश दिया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.07 16:36:32 IST
Reason: SelfAttested

नोज ------x------ मुबलिग ------x------ बाबत ------x------ खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह ------x------ फस्दों की पालना ------x------ आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 05.02.2025 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़।